



कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- अजमेर में अजमेर डिस्कॉम का तकनीकी सहायक (लाइनमैन) 11 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी

जयपुर, 09 जुलाई। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर अजमेर इकाई द्वारा आज शुक्रवार को कार्यवाही करते हुये महेन्द्र सिंह रावत तकनीकी सहायक-ग्रेड द्वितीय, राजौसी, ए.वी.वी.एन.एल. नसीराबाद, जिला अजमेर को परिवादी से 11 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की अजमेर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी निर्माणाधीन दूकानों में काम में ली जा रही विद्युत लाइन की वी.सी.आर. नहीं भरने की एवज में महेन्द्र सिंह रावत तकनीकी सहायक-ग्रेड द्वितीय, राजौसी, ए.वी.वी.एन.एल. नसीराबाद, जिला अजमेर द्वारा 12 हजार रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी अजमेर इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सतनाम सिंह के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज पुलिस निरीक्षक श्रीमती मीरा बेनीवाल एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये महेन्द्र सिंह रावत पुत्र श्री रमेश सिंह निवासी गांव भवानीखेड़ा, पुलिस थाना नसीराबाद सदर, जिला अजमेर हाल तकनीकी सहायक-ग्रेड द्वितीय, राजौसी, ए.वी.वी.एन.एल. नसीराबाद, जिला अजमेर को परिवादी से 11 हजार रुपये की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाइन नं. 1064 एवं Whatsapp हैल्पलाइन नं. 94135-02834 पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।